

Topic - Process of constitutional  
Amendment.

Class - B.A. Degree - II (Hons. P-II)

Subject - Political science

Date - 11 Nov., 2020

By Rahul Kumar Jha.

## संविधान संशोधन की प्रक्रिया :-

संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के संबंधित क्रियिट उपर्युक्त है। इसके अनुसार संघ संघ की संविधायी विधि का अंदार है। भारतीय संविधान में नीचे लिखे गए लकड़ा हैं-

1. साम्यान्य बहुमत द्वारा संशोधन : - संविधान में कृपा देखी अनुच्छेद है, जिसे संघ साम्यान्य बहुमत के द्वारा नह लकड़ी है और संघ द्वारा इस तरार विए गए संशोधन की संविधान के बाहर जाता है। उत्तराखण्ड राज्यों के नामों द्वारा लीमाझी के परिवर्तन करने, राज्यों के दोष की कम करने आदि

करने, राज्यों में विचार परिषदों की जाति करने आ समाप्त करने, अंतर्राष्ट्रीय में, बिलभैं विद्युपत्र, शज्जपाल, उच्चत्रभ-भायिलाम तथा उच्च-भायिलाभी की वायस्त्वीयों के रैन में विक्षि आकारी आड़ि के लिए किये जाने वाले लेमोन लेमोन बहुमत ले किए गए हैं।

2. विशेष बहुमत वरा लेमोन :- संसद के विशेष बहुमत द्वारा किये जाने वाले हैं व्यानिक परिषद की लेमोन लेमोन कल जाता है। इस त्रिकार के लेमोन लेमोन करने के लिए छोटे विशेष लेलद हैं जिनी नी लद्दन पर्याय विभाग जाता है। इस त्रिकार पर्याय विशेष लेमोन की लद्दन द्वारा विशेष बहुमत के पासित विभाग जाता व्यानिक। विशेष बहुमत के पासित विभाग जाने वाले विशेष लेलद की दृष्टि लद्दन नी जोड़ा जाता व्यानिक। जब दृष्टि लद्दन नी विशेष बहुमत के विशेष लेलद की पासित वर है, तब उन्हें विशेष लेलद की समीक्षा

के लिए जैजा जाता है। राष्ट्रपति की उम्मीदि  
प्राप्त कर्ते पर किंवद्दु अधिनियम के द्वारा ऐसे  
प्रणयन हो जाता है।

उ. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन  
के लोकेन्द्रन लोकेन्द्रन ! — कृपा देखें मिथ्य है,  
जिनमें लोकेन्द्रन कर्ते के लिए लोकेन्द्रन के विशेष  
बहुमत के लाभ लाभ आये ले अपितु राज्यों  
की विकास लगाऊ छारा अनुमोदन क्षेत्रों  
परिवर्त जैसे- राष्ट्रपति के निर्वाचन के लोकेन्द्रन  
निर्वाचक भौतिक तथा राष्ट्रपति की चुनाव विधि,  
दुष्कृत तथा राज्यों की कार्यपालिका विधि का  
विवर, उच्चतम्-भागालय तथा उच्च-भागालय  
के डॉक्टर तथा विद्यालय, जलवी बूँदी में  
विभिन्न द्विविधों की संशिदि, लोकेन्द्रन में राज्यों  
का संविधानित, लोकेन्द्रन लोकेन्द्रन अधिका।  
उक्त वा लोकेन्द्रन के लिए लोकेन्द्रन  
सदनों जैसा विशेष बहुमत हो साति बर्ने के  
बाद इसे राज्यों की विषय समाजी इस अनुमोदि-  
ति नर्ने के लिए जैजा जाता है। आये ले  
अपितु राज्यों के अनुमोदन के विषय राष्ट्रपति की  
संविधि अनेक ने बाद विवेक अधिनियम के अपि-  
तु विविधों द्वारा हो